

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

**Government of India**

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**Notification**

**New Delhi, dated 30<sup>th</sup> April, 2019**

G.S.R. ....(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Third Amendment Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in item "I (Fee for filing under section 403 of the Companies Act, 2013)",-

i) in sub-item B, in the Table of additional fee, in third column, for the column heading, the column heading "Forms excluding charge documents", shall be substituted;

ii) after sub-item 'D', the following sub- item shall be inserted, namely:-

**"E. Fees for filing charge documents.**

- (a) charges created or modified **before the 2<sup>nd</sup> November, 2018**, and allowed to be filed within a period of three hundred days of such creation or six months from **the 2<sup>nd</sup> November, 2018**, as the case may be, the following additional fees shall be payable:-

Sl.No.	Period of delay	Additional Fee applicable
1.	Up to 30 days	2 times of normal fees
2.	More than 30 days and up to 60 days	4 times of normal fees
3.	More than 60 days and up to 90 days	6 times of normal fees
4.	More than 90 days and up to 180 days	10 times of normal fees
5.	More than 180 days	12 times of normal fees

- (b) For the charges created or modified **on or after the 2<sup>nd</sup> November, 2018**:-


- (A) The following additional fees or advalorem fees, as the case may be, shall be payable upto 31<sup>st</sup> July, 2019, by all companies:-

Sl.No.	Period of delay	Additional/Advalorem Fees applicable
1.	Up to 30 days	2 times of normal fees
2.	More than 30 days and up to 60 days	4 times of normal fees
3.	More than 60 days and up to 90 days	6 times of normal fees

(B) the following additional fees or advalorem fees as the case may be, shall be payable **with effect from 1st August, 2019:-**

Sl.No.	Period of delay	Small Companies and One Person Company	Other than Small Companies and One Person Company
1.	Up to 30 days	3 times of normal fees	6 times of normal fees
2.	More than 30 days and up to 90 days	3 times of normal fees plus an <i>ad valorem</i> fee of 0.025 per cent. of the amount secured by the charge, subject to the maximum of one lakh rupees.	6 times of normal fees, plus an <i>ad valorem</i> fee of 0.05 per cent. of the amount secured by the charge, subject to the maximum of five lakh rupees".

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

  
K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R.143 (E)	21-02-2019
11.	G.S.R.329(E)	24-04-2019

\*\*\*\*\*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2019

सा.का.नि..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396, 398, 399, 403 और 404 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के अलावा, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, उपाबंध की, मद सं. 1 में, "(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के अंतर्गत फाइल करने के लिए फीस)",-

i) उप-मद (ख) में, अतिरिक्त शुल्क की सारणी में, तीसरे स्तम्भ में, स्तम्भ शीर्ष के स्थान पर "प्रभार दस्तावेजों के अलावा अन्य प्ररूप" स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे;

ii) उप-मद 'घ' के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"ड. प्रभार दस्तावेज के लिए शुल्क

(क) 02 नवंबर, 2018 से पूर्व सृजित या उपांतरित प्रभार, और ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर या 02 नवंबर, 2018 से छह माह के भीतर फाइल किए जाने की अनुमति, के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त फीस देय होगी:-

क्र.सं.	विलंब की अवधि	लागू अतिरिक्त फीस
1.	30 दिन तक	साधारण फीस का 2 गुना
2.	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	साधारण फीस का 4 गुना
3.	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	साधारण फीस का 6 गुना
4.	90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	साधारण फीस का 10 गुना
5.	180 दिन से अधिक	साधारण फीस का 12 गुना

(ख) 02 नवंबर, 2018 को या इसके पश्चात् सृजित या उपांतरित प्रभारों के लिए :-

(क) सभी कंपनियों द्वारा 31 जुलाई, 2019 तक निम्नलिखित अतिरिक्त फीस या यथामूल्य फीस, जैसा भी मामला हो, देय होगी :-

क्र.सं.	विलंब की अवधि	लागू अतिरिक्त/यथामूल्य फीस
1.	30 दिन तक	साधारण फीस का 2 गुना
2.	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	साधारण फीस का 4 गुना
3.	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	साधारण फीस का 6 गुना

(ख) 01 अगस्त, 2019 से निम्नलिखित अतिरिक्त फीस या यथामूल्य फीस, जैसा भी मामला हो, देय होगी :-

क्र.सं.	विलंब की अवधि	छोटी कंपनियां और एकल व्यक्ति कंपनियां	छोटी कंपनियों और एकल व्यक्ति कंपनियों से भिन्न
1.	30 दिन तक	साधारण फीस का 3 गुना	साधारण फीस का 6 गुना
2.	30 से अधिक दिन और	साधारण फीस का 3 गुना	साधारण फीस का 6 गुना

90 दिन तक	और प्रभार द्वारा प्रतिभूत धनराशि के 0.025 प्रतिशत. का यथा मूल्य शुल्क, एक लाख रुपये की अधिकतम राशि के अध्यक्षीन	और प्रभार द्वारा प्रतिभूत धनराशि के 0.05 प्रतिशत. का यथा मूल्य शुल्क, पांच लाख रुपये की अधिकतम राशि के अध्यक्षीन
-----------	---	--

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल-V (पार्ट-I)]

के.वी.आर.मूर्ति  
30/4/19  
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि. 616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि. 905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि. 143(अ)	21.02.2019
11.	सा.का.नि. 329(अ)	24.04.2019

\*\*\*\*\*